



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231946
CG-DL-E-17122021-231946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]
No. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 864(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2021-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 760(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित गया था, में:-

- (i) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 14 में, '24' के स्थान पर '28' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 15 में, '25' के स्थान पर '29' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 15 में, '26' के स्थान पर '30' पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 19 में, '25' के स्थान पर '29' पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 30 में, '27' के स्थान पर '31' पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 38 में, '27' के स्थान पर '31' पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 2 में, '26' के स्थान पर '30' पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 5 में, '26' के स्थान पर '30' पढ़ें।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 17th December, 2021

G.S.R. 864(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/2021-Customs(N.T.), dated the 27th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 760(E), dated the 27th October, 2021, namely:-

- (i) at the page number 3, in line 27, *for* '24' *read* '28';
- (ii) at the page number 3, in line 28, *for* '25' *read* '29';
- (iii) at the page number 4, in line 1, *for* '26' *read* '30';
- (iv) at the page number 4, in line 6, *for* 'pf rule 25' *read* 'of rule 29';
- (v) at the page number 4, in line 18, *for* '27' *read* '31';
- (vi) at the page number 4, in line 27, *for* '27' *read* '31';
- (vii) at the page number 4, in line 30, *for* '26' *read* '30'
- (viii) at the page number 4, in line 34, *for* '26' *read* '30'.

[F. No. CBIC-190354/209/2021-TRU Section-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.